PIONEER, Bhubaneswar, 17.3.2024
Page No. 4, Size:(17.25)cms X (12.45)cms.

No entitlements to woman crematorium worker

NHRC seeks ATR from Kendrapada DM

RAJESH BEHERA
KENDRAPADA

The National Human Rights Commission (NHRC) on March 12 has sought for Action Taken Report (ATR) from the District Magistrate of Kendrapada on depriving a woman crematorium worker of her rights and entitlements.

Considering a petition filed by lawyer and rights activist Radhakanta Tripathy, the NHRC sought for the ATR within a period of four weeks.

Tripathy brought to the notice of the Commission that a woman crematorium worker, Samsun Bibi, was denied benefits of social welfare schemes of Central/State Governments, including benefits of PMAY to her and her family.

The victim, who is a resident of Ranapada, has been performing sweeping/cleaning work in a cremation ground that too without any wages since 2012. Samsun keeps the gate of the crematorium ground locked and guards the ground. The cremation ground is located within the jurisdiction of Kendrapada Municipality. As per the reports of several print media, the Kendrapada Municipal authorities have admitted that no remuneration is being paid to her for the work.

The family could be covered under various welfare schemes and the education of the daughters also can be duly taken care of by the district authorities. However, the administration has not been extending the benefits of the applicable social welfare schemes, education and employment facilities to Samsun's family, stated Tripathy.

Taking care of the crematorium without wages for years together is no doubt a noble job, but depriving her of social security schemes amounts to violation of human rights, Tripathy said. Tripathy requested for formulation of policy by the State for all the crematorium workers. The NHRC sought an ATR from district Collector and also forwarded the copy of instant proceeding to the Chief Secretary, Government of Odisha for information.

राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग ने जोनल अस्पताल और वृद्ध आश्रम का किया दौरा

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/3/16/Kangra-NHRC-second-day-visit-hospital.php

धर्मशाला, 16 मार्च (हि.स.)। राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने कांगड़ा जिला के दौ रे के दूसरे दिन शनिवार को ज़ोनल अस्पताल धर्मशाला का दौरा किया । इस दौरान उन्होंनेन्हों नेअस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर व सुझाव/शिकायत पट्टिका का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंनेन्हों नेअस्पताल के स्टाफ से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंनेन्हों ने अस्पताल में रखी गई खाद्यन्न सामग्री तथा दवाइयों की गहनता से जांच की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंनेन्हों नेनिरीक्षण के दौरान ओपीडी, बल्ड बैंक के अतिरिक्त अस्पताल की अन्य कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी हासिल की। इस दौरान धर्मशाला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश गुलेरी ने पीपीटी प्रेजेंटेजेंटेशन के माध्यम से अस्पताल के संचालन और कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी दी। गोयल ने मानवाधिकारों के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि किसी भी रूप में मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मा नव अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग मौजूद है। उन्होंनेन्हों नेआम जनमानस का भी आह्वान किया कि यदि कहीं पर किसी भी स्थिति में मानवाधिकारों का हनन होता है तो उसकी सूचना मानवाधिकार को दें। उन्होंनेन्हों नेउल्लेख किया कि मानवाधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए एनएचआरसी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में उन्होंनेन्हों नेअस्पताल के अधिकारियों को मरीजों और अस्पताल में आने वाले आगंतुकों,कों विशेष रूप से दिव्यांगजनों और वृद्धों के मामलों में अत्यधिक संवेदनशीलता बरतने का निर्देश दिया है। बाद में उन्होंनेन्हों नेधर्मशाला के दाड़ी स्थित वृद्ध आश्रम का भी दौरा किया। उन्होंनेन्हों ने संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों से वृद्धों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंनेन्हों नेअधिकारियों को वृद्धों के लिए उपलब्ध सेवाओं में सुधार करने और उनको उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिये। उन्होंनेन्हों नेइस दौरान वहाँ रह रहे बुजुर्गों से बातचीत कर उनको आ रही समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा उनके त्वरित निवारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र

HINDUSTAN, Lucknow, 17.3.2024
Page No. 13, Size:(6.91)cms X (10.12)cms.

मानवाधिकार आयोग ने डीजी को जांच दी

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महिला हेड कांस्टेबल के साथ हुई ट्रेन घटना के बाद अयोध्या पुलिस द्वारा सितंबर 2023 में अनीस व विशंभर दयाल दुबे आदि के साथ मुठभेड़ के संबंध में प्राप्त शिकायत को आयोग के डीजी को संदर्भित किया है। आयोग ने कहा है कि एसएसपी अयोध्या की रिपोर्ट तथा डीजी 12 हफ्ते में अपनी स्पष्ट संस्तुति प्रस्तुत करें।

मानवाधिकार आयोग नेडीजी को जांच दी

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/lucknow/story-human-rights-commission-investigated-dg-9553018.html

लखनऊ। रा राष्ट्री ष्ट्रीय मा मानवा वाधिधिका कार आयो योग नेमहिला हेड कांस्टेबल के साथ हुई ट्रेन घटना के बाद अयोध्या पुलिस द्वारा सितंबर 2023 मेंअनीस व विशंभर दयाल दुबेआदि के साथ मुठभेड़ के संबंध मेंप्राप्त शिकायत को आयोग के डीजी को संदर्भित किया है। आयोग नेअपनेआदेश मेंकहा हैकि शिकायत में प्रस्तुत तथ्यों के साथ एसएसपी अयोध्या की रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों का अवलोकन कर डीजी 12 हफ्ते मेंअपनी स्पष्ट संस्तुति आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर